S l. No.	Date of order of proceeding	order with signature of the court	Office Action Taken with Date
1	2	3	4

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–34/2017

अंचल अधिकारी, खैरा – आवेदक प्रथम पक्ष

अकलू सिंह पे0–स्व0 हुरो सिंह – आवेदक द्वितीय पक्ष

अंचल–चकाई, जिला–जमुई।

बनाम

1. शत्रुधन सिंह एवं अन्य विपक्षीगण

आदेश

स्वत्व दीवानी वाद सं0–02/09 अवर न्यायाधीश द्वितीय आदेश तिथि 02.07.2011 के आलोक में मौजा–धनवेरिया, जमाबन्दी सं0–1516 से खाता सं0–105, खेसरा सं0–997, रकवा–18 डी0 भूमि विलोपित करने हेतु अंचल अधिकारी, खैरा ने अपने पत्र–672 दिनांक–31.08.2017 से प्रस्ताव भेजा है। चुँकि माननीय न्यायालय से विपक्षी के विरूद्ध आदेश पारित है। फलतः विपक्षीगण का सूचना निर्गत नहीं की गई। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में वाद को बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम की धारा 9 (1) के अन्तर्गत 'वाद' अंगीकृत किया गया। तदनुसार विपक्षी को सूचना निर्गत की गई।

वाद में निम्नलिखित भूमि सन्निहित है :–

अंचल का नाम	ग्राम/थाना सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ में)	जमाबंदी सं0
1	2	3	4		5
खैरा	धनवेरिया	105	997	0.18 ए0	1516
कुल				0.18 ए0	

अंचल अधिकारी, खैरा आवेदक **प्रथम पक्ष** तथा अकलु सिंह वगैरह पे0–स्व0 हुरो सिंह, साकिन–धनवेरिया, अंचल–खैरा आवेदक **द्वितीय पक्ष** का कथन है कि मौजा–धनवेरिया, खाता सं0–105, खेसरा सं0–997, रकवा 18 डी0 पर माननीय अवर न्यायाधीश द्वितीय, जमुई के न्यायालय में स्वत्व वाद 2/2009 आवेदक द्वितीय पक्ष अकलू सिंह वगैरह तथा शत्रुधन सिंह एवं अन्य के बीच प्रश्नगत खेसरा के स्वत्व को लेकर चला था।

माननीय न्यायालय के द्वारा उक्त वाद में प्रश्नगत खेसरा पर वादी तथा जमाबन्दी रद्दीकरण आवेदन के आवेदक द्वितीय पक्ष श्री अकलू सिंह, पे0–हुरो सिंह के पक्ष में स्वत्व घोषित किया गया है। साथ ही उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के न्यायालय वाद सं0–20/2007–08 में पारित आदेश दिनांक–18.11.08 को रद्द कर दिया गया। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा वंशावली विवादित होने के कारण अकलू सिंह के जमाबन्दी सुधार संबंधित आवेदन को रद्द कर दिया गया था।

स्वत्व वाद सं0–02/2009 में माननीय न्यायालय अवर न्यायाधीश द्वितीय के द्वारा पारित आदेश दिनांक–02.07.2011 का अवलोकन किया। माननीय

न्यायालय द्वारा खैरा अंचल अन्तर्गत, धनवेरिया मौजा के खाता सं0–105, खेसरा सं0–997 रकवा–18 डी0 पर निम्नलिखित चौहद्दी पर अकलू सिंह आवेदक द्वितीय पक्ष का स्वत्व धोषित किया गया है।

उत्तर–गिरजा सिंह, दक्षिण–जमुना सिंह, पूरब–रामेश्वर सिंह, पश्चिम–सुकदेव सिंह।

माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में राधो सिंह वगैरह के पक्ष में कायम जमाबन्दी सं0–1516 में सन्निहित खाता सं0–105, खेसरा सं0–997, का रकवा–18 डी0 भूमि विलोपित करने संबंधित आवेदन पत्र स्वीकृत की जाती है। अंचल अधिकारी, खैरा को निदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत खेसरा का 18 डी0 रकवा जमाबन्दी सं0–1516 से विलोपित/खारिज कर संबंधित मूल जमाबन्दी में वापस करे। आवेदक चाहे तो उक्त खेसरा का दाखिल खारिज हेतु आवेदन अंचल अधिकारी को यहाँ दे सकते है।

आदेश की प्रति विपक्षी, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई एवं अंचल अधिकारी, खैरा को आवश्यक कार्यार्थ भेजें। साथ ही आदेश की प्रति जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु DIO, NIC, Jamui को भी भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, 26/6/18
जमुई।

अपर समाहर्त्ता, 26/6/18
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 692 /रा0, दिनांक– 26.06.2018

प्रतिलिपि– विपक्षीगण/अंचल अधिकारी, खैरा/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता, 26/6/18
जमुई।

A Home Jud